

उत्तर रेलवे

मंडल कार्यालय
लखनऊ

दिनांक: 28.02.2020

पत्र सं० : 752E/1A /CMP/Medical


मुख्य जन संपर्क अधिकारी
स्टेट इन्ट्री रोड, नई दिल्ली

विषय—लखनऊ मण्डल में अनुबंध के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिसनर की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का विज्ञापन क्षेत्रीय प्रमुख समाचार पत्रों में छपवाने के संबंध में।

लखनऊ मण्डल में अनुबंध के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिसनर की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार दिनांक 17.03.2020 को मण्डल चिकित्सालय, उत्तर रेलवे में आयोजित किया जायेगा। इसका विज्ञापन क्षेत्रीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है। इसका विस्तृत विवरण संलग्न है।

इसको Head G-296-21 के मद में प्रकाशित करने का कष्ट करें। इस विज्ञापन को रेलवे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक: यथोक्त


28.2.2020

(लवली ज्ञान)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
उत्तर रेलवे, लखनऊ

**लखनऊ मंडल में अनुबंध के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिसनर की नियुक्ति हेतु सीधे साक्षात्कार
(वाक इन इंटरव्यू)।**

अनुबंध के आधार पर लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे में कार्य करने हेतु पूर्णकालिक 01 Orthopadices स्पेशलिस्ट/सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिसनर पुरुष/महिला की रिक्तियों को भरने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी और अनुबंध की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अनुबंध को आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम अनुबंध की अवधि 12 वर्ष की हो सकती है। सेवानिवृत्ति सरकारी डॉक्टर की अनुबंध अवधि अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगी जो 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक एक-एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। योग्य उम्मीदवारों को नीचे दिये गये तिथि, समय एवं स्थान पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है।

साक्षात्कार का स्थान	तिथि	समय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कार्यालय मंडल रेलवे चिकित्सालय, उ०रे०/चारबाग, लखनऊ।	17.03.2020	11.00 बजे

कम सं०	स्टेशन/स्वास्थ्य इकाई	पदों की संख्या
1	मंडल चिकित्सालय, चारबाग, लखनऊ (सीएमपी/ Orthopadices स्पेशलिस्ट	01

पारिश्रमिक

सीएमपी की श्रेणी	मासिक पारिश्रमिक रूपये में
स्पेशलिस्ट प्रथम वर्ष	95000 /-
स्पेशलिस्ट	105000 /-
सुपर स्पेशलिस्ट	1,15,000 /-

- पद का नाम:** पूर्ण कालिक नियुक्ति पर अनुबंधित मेडिकल प्रैक्टिसनर (सीएमपी)
- नियुक्ति की प्रकृति:** नियुक्ति एक वर्ष के लिए पूर्णतया अनुबंध के आधार पर या नियमित यू०पी०एस०सी० चयनित डॉक्टर एडीएमओ, डीएमओ/वरि० डी०एम०ओ० के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के अधीन की जायेगी। इसके अलावा इसे डॉक्टरों की सेवाएं एक वर्ष पूर्ण होने से पहले भी समाप्त की जा सकती हैं। अनुबंध डॉक्टर के रूप में दी गयी सेवाएं एक ठहराव अन्तर व्यवस्था है और इसमें यू०पी०एस०सी० के माध्यम से नियमित चयन के मामले में किसी भी अवधि पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबंध आधार पर नियुक्त किसी भी परिस्थिति में स्वतः ही नियमितीकरण/समायोजन का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- अन्य सुविधाएं-** प्रत्येक अनुबंध के दौरान स्वयं पर परिवार के लिए प्रथम श्रेणी का पास का एक सेट जिसे नियमित अनुबंध सेवा के तीन माह बाद जारी किया जायेगा। सेवा निवृत्ति डॉक्टरों को छोड़कर, अनुबंधित मेडिकल प्रैक्टिसनर लागू शर्तों पर चयन के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकता है।

अनुबंध कार्य के संबंध में आउट स्टेशन यात्रा पर व्यय, निर्दिष्ट दरों पर दैनिक भत्तों द्वारा वहन किया जायेगा और इसे कार्यों के लिए स्वीकार है।

- 4 : शैक्षिक योग्यता— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस और एक वर्ष की इंटरशिप स्पेशलिस्टी/सुपर स्पेशलिस्टी में पी0जी0 योग्यता/डिप्लोमा डिग्री (Orthopadices) होनी चाहिए किसी भी भारतीय राज्य चिकित्सा परिषद का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
5. रेलवे क्वार्टर उपलब्धता के अधीन एवं विश्राम कक्ष किराया कटौती के बाद उपलब्ध होगा।
- 6: आयु—

क.—01.01.2020 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख. सेवानिवृत्ति आई0आर0एम0एस0 अधिकारी/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्ति सरकारी चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें अनुबंध न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम पाँच वर्ष के लिए होगा।

ग. वर्तमान नियमों के अनुसार आरक्षण नीति लागू होगी।

7. पदों की संख्या—01

क्रम सं०	स्टेशन/स्वास्थ्य ईकाई	अनु जा०	अ०ज०जा०	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
1	मण्डल चिकित्सालय, घारबाग, लखनऊ	—	—	—	01

रिक्तियाँ केवल सांकेतिक हैं, आवश्यकता के अनुसार प्रशासन चयनित उम्मीदवार को लखनऊ मण्डल उत्तर रेलवे में कहीं पर भी नियुक्त कर सकता है।


उपरोक्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने वाले एवं अपेक्षित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र एवं एमसीआई (भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र) चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र, प्रत्येक की एक-एक फोटो कापी एवं दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं।

आवेदन के प्रारूप

सीएमपी (Orthopadice)/स्पेशलिस्ट/सुपर स्पेशलिस्ट की नियुक्ति के लिए आवेदन पद -----

स्टेशन -----

1. नाम बड़े अक्षरों में (हिन्दी में) -----
(अंग्रेजी में) -----



2. पिता/पति का नाम -----

3. पता (क) स्थायी -----

(ख) वर्तमान -----

(ग) (टेलीफोन/मोबाइल नं०) -----

(घ) ई मेल आईडी -----

4. जन्मतिथि -----

5. राष्ट्रीयता/धर्म -----

6. शैक्षिक योग्यता -----

(एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डीएम/सुपर स्पेशलिस्ट योग्यता, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, प्राप्तांको का प्रतिशत, वर्ष)

7. सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी -----

8. स्नातक/स्नातकोत्तर के बाद अनुभव -----

9. चिकित्सा पंजीकरण सं० एवं दिनांक -----

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिये गये विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। मैं समझता हूँ कि यदि दी गयी जानकारी कोई भी विवरण गलत या असत्य पाया जाता है या कोई मिथ्या विवरण या विवरणों में विभिन्नता पायी जाती है तो मैं तत्काल सेवा से निष्काषित किया जाने और कोई भी सिविल/आपराधिक/कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि यदि मेरा चयन हो जाता है और मैं साक्षात्कार के लिए 15 दिन के भीतर अपना कार्य ग्रहण नहीं करता हूँ तो रेलवे भविष्य में भारतीय रेलवे में किसी भी पद के लिए मेरी उम्मीदवारी पर विचार नहीं करने का अधिकार रखता है।

मैं समझता हूँ कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए मैं किसी टीए.डीए के लिए योग्य नहीं हूँ।

दिनांक -

उम्मीदवार के हस्ताक्षर -----